मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2015

क्रमांक : 2282/5030/2013/बी–4/दो : पुलिस अधीक्षक, दक्षिण भोपाल के आदेश क्रमांक पुअ/भो/द/स्टेनो/विजां/07सी/2011 दिनांक 18.2.2011 द्वारा आरक्षक–2042 मनोज पाण्डेय, जिला पुलिस बल, भोपाल के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों पर आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच आदेशित की गई थी :–

::आरोप::

(1) बैंक सुरक्षा गार्ड जैसी महत्वपूर्ण ड्यटी से गैरहाजिर होकर दिनांक 10.8.2008 से दिनांक 2.2.2011 तक (कुल 907 दिवस) बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से गैरहाजिर रहकर अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शासकीय सेवा के प्रति अरूचि प्रदर्शित करना।

(2) गैरहाजिर होने के संबंध में पूर्व में भी कई बार एलआर–24 के तहत कार्यवाही की जाने, कई छोटी सजाओं एवं एक बड़ी सजा से दंडित किये जाने के उपरांत भी अपने आचरण में कोई सुधार नहीं लाना।

(3) गैरहाजिर होने का आदी होकर पुलिस रेग्युलेशन पैरा–64 में उल्लेखित पुलिस सेवा की सामान्य शर्तों के विपरीत आचरण करना।

2. जांचकर्त्ता अधिकारी ने विभागीय जांच में आरोपी आरक्षक–2042 मनोज पाण्डेय, जिला पुलिस बल, भोपाल के विरूद्ध अधिरोपित सभी तीनों आरोपों को प्रमाणित पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक, दक्षिण जिला भोपाल के आदेश क्रमांक पुअ/भो/द/स्टेनो/विजां/07सी/2011 दिनांक 21.7.2011 द्वारा आरक्षक –2042 मनोज पाण्डेय, जिला पुलिस बल, भोपाल को "वेतन से एक वार्षिक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि एक वर्ष के लिये संचयी प्रभाव से कमी (अवनति)" किये जाने के दण्ड से दंडित किया गया।

3. उप पुलिस महानिरीक्षक, रेंज भोपाल ने पुलिस अधीक्षक, दक्षिण भोपाल द्वारा दिये गये दण्ड को प्रमाणित आरोपों की गंभीरता के संदर्भ में कम पाते हुए पुलिस रेग्युलेशन के पैरा–270(1) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षण में लेकर विधिवत् कार्यवाही उपरांत पुनरीक्षण आदेश क्रमांक उमनि/भोरें/निस/65/2012 दिनांक 9.1.2012 के द्वारा आरक्षक–2042 मनोज पाण्डेय, जिला पुलिस बल, भोपाल को सेवा से पृथक करने के दण्ड से दंडित किया गया।

4. उक्त दण्ड के विरूद्ध भूतपूर्व आरक्षक मनोज पाण्डेय, जिला पुलिस बल, भोपाल द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल जोन को प्रस्तुत अपील आदेश क्रमांक पीए/याचिका/2012(12–ए) दिनांक 29.2.2012 द्वारा अमान्य की गई। तदुपरांत पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत दया याचिका उनके आदेश क्रमांक पुमु/23/बी–1/(149–12)444–एफ/12 दिनांक 27.9.2012 द्वारा अमान्य की गई।

-2-

3/7/2015

5. भूतपूर्व आरक्षक–2042 मनोज पाण्डेय, जिला भोपाल द्वारा प्रस्तुत दया याचिका को गृह विभाग के आदेश दिनांक 12.12.2013 को अमान्य की गई।

6. पुलिस रेग्युलेशन की कंडिका–270 में स्वयमेव पुनरीक्षण के प्रावधान हैं। प्रकरण में विधि विभाग का अभिमत भी प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार राज्य शासन को स्वप्रेरणा से किसी मामले को पुनरीक्षण में लेने का अधिकार है। स्वयमेव पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्त्ता अधिकारी द्वारा स्वतः अथवा स्वयमेव किया जा सकता है। स्वयमेव पुनरीक्षण आवेदक का अधिकार नहीं है, परन्तु स्वतः अथवा स्वयमेव पुनरीक्षण हेतु प्रेरणा व्यथित व्यक्ति के आवेदन पत्र पर से भी ली जा सकती है। स्वयमेव पुनरीक्षण के प्रावधान का उपयोग व्यथित के साथ घोर अन्याय अथवा प्रकरण में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति न होने पर ही किया जा सकता है।

7. आलोच्य प्रकरण में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी को एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिये संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया था। उप महानिरीक्षक, रेंज भोपाल द्वारा स्वयमेव पुनरीक्षण में उसे सेवा से पृथक करने का दण्ड दिया गया। उप महानिरीक्षक, रेंज भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.1.2012 के अध्ययन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पुलिस रेग्युलेशंस की कंडिका–224 से 226 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया है। सामान्य तौर पर सेवा से पृथक करने का दण्ड तब दिया जाना चाहिये जब कि सुधार के सभी जरिये असफल न हो जाएं। कंडिका–226(3) के अनुसार कर्त्तव्य के गंभीर रूप से अवहेलना के सभी मामलों के लिये अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से वेतनवृद्धि का रोका जाना उपयुक्त दण्ड है। उक्त आधारों पर पुलिस अधीक्षक, दक्षिण भोपाल द्वारा दिया गया दण्ड उचित है।

8. राज्य शासन द्वारा प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर विचारोपरांत पुलिस रेग्युलेशन की कंडिका–270 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज, भोपाल तथा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा पारित पुनरीक्षण दण्डादेश दिनांक 9.1.2012 को परिवर्तित कर पुलिस अधीक्षक, दक्षिण भोपाल द्वारा दिये गये दण्ड को यथावत् रखा जाय।

9. अतः राज्य शासन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज, भोपाल के आदेश दिनांक 29.2.2012 तथा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2012, उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज, भोपाल द्वारा पारित पुनरीक्षण दण्डादेश दिनांक 9.1.2012 को निरस्त कर पुलिस अधीक्षक, दक्षिण भोपाल द्वारा दिये गये दण्डादेश दिनांक 29.2.2012 द्वारा अधिरोपित दण्ड को "वेतन से एक वार्षिक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि एक वर्ष के लिये संचयी प्रभाव से कमी (अवनति) किये जाने के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.श्रीवास)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

-3-

पृ.क्रमांक : 2283 / 5030 / 2013 / बी–4 / दो, भोपाल, दिनांक : 04 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, गृह विभाग।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल जोन, भोपाल।
5. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज, भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, दक्षिण भोपाल।
7. संबंधित – श्री मनोज कुमार पाण्डेय, नया बसेरा, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3/7/2015

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग